# मेरठ विकास प्राधिकरण

## की

## 87वीं बोर्ड बैठक

## दिनांक : 11—2—2009

## का

# कार्यवृत्त

# .मेरठ विकास प्राधिकरण बोर्ड की 87वीं बैठक दिनांक 11—2—2009 का कार्यवृत्त।

मेरठ विकास प्राधिकरण बोर्ड की 87 वीं बैठक आयुक्त, मेरठ मण्डल, मेरठ के सभागार में आयुक्त, मेरठ मण्डल, मेरठ/अध्यक्ष, मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ की अध्यक्षता में दिनांक 11—2—09 को अपरान्ह 3—30 बजे से प्रारम्भ हुई एवं सांय 6.00 बजे तक चली। सर्वप्रथम उपाध्यक्ष, मेरठ विकास प्राधिकरण द्वारा अध्यक्ष महोदय तथा सभी उपस्थित मा0 सदस्यों का स्वागत किया गया। बैठक में उपाध्यक्ष एवं निम्नलिखित सदस्यों द्वारा प्रतिभाग किया गयाः—

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | श्री राम नवल सिंह | उपाध्यक्ष, मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ | उपाध्यक्ष |
| 2. | श्रीमती कामिनी चौहान रतन | जिलाधिकारी, मेरठ | सदस्य |
| 3 | श्री संजय कृष्ण | नगर आयुक्त, नगर निगम मेरठ | सदस्य |
| 4 | श्री डी0सी0 गुप्ता | सहयुक्त नियोजक प्रतिनिधि—मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उ0प्र0 शासन, लखनऊ। | सदस्य |
| 5 | श्री ए0के0 त्यागी | प्रतिनिधि—आयुक्त, एन0 सी0 आर0 | सदस्य |
| 6. | श्री एच0एन0शुक्ला | अपर निदेशक, कोषागार एवं पेंशन, मेरठ प्रतिनिधि—प्रमुख सचिव वित्त। | सदस्य |
| 7 | श्री एस0बी0 तिवारी | अपर निदेशक, उद्योग मेरठ। | सदस्य |
| 8 | श्री राम अधार राम | उप महा प्रबन्धक, विद्युत नगरीय, मेरठ। | सदस्य |
| 9 | श्री रवि रस्तौगी | अधीक्षण अभियंता, जल निगम, मेरठ | सदस्य |
| 10 | श्री अनुराग पटेल | सचिव, मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ | संयोजक |

## प्राधिकरण की 86 वीं बोर्ड बैठक दिनांक 19–9–2008 के कार्यवृत्त की पुष्टि

प्राधिकरण की 86 वीं बोर्ड बैठक दिनांक 19–9–2008 के कार्यवृत्त की पुष्टि की गयी।

## अनुपूरक प्रस्ताव, 76 वीं बोर्ड बैठक की अनुपालन आख्या

मद संख्या –3

डिफेन्स एन्कलेव एवं श्रद्धापुरी योजना के हस्तान्तरण के सम्बन्ध में बोर्ड द्वारा निर्देश दिया गया कि जो कार्य प्राधिकरण द्वारा कराये जा रहे हैं, उन्हें प्राधिकरण द्वारा पूरा किया जायेगा।

उक्त कालोनियों में जो कमियां/कार्य शेष रह जायेगें, उनको पूरा कराने हेतु पूर्व बैठक में दिये गये निर्देशानुसार लोक निर्माण विभाग, मेरठ द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली जाँच/आगणन में उल्लिखित धनराशि प्राधिकरण द्वारा नगर निगम, मेरठ को उपलब्ध करा कर उक्त कालोनियों को नगर निगम को हस्तांतरित कर दिया जाय।

## प्राधिकरण की 81 वीं बोर्ड बैठक की अनुपालन आख्या

मद संख्या –2

गत बोर्ड बैठक में दिये गये निर्देशानुसार समय से कार्यवाही पूर्ण न करने के कारण बोर्ड द्वारा अप्रसन्नता व्यक्त की गयी तथा सभी प्रकरणों में शीघ्र कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये। इस हेतु गठित समिति में अपर आयुक्त, (प्रशासन), मेरठ मण्डल, मेरठ के स्थान पर पुलिस अधीक्षक (नगर) मेरठ, मुख्य अग्नि शमन अधिकारी, मेरठ तथा सहायक निदेशक, विद्युत सुरक्षा, मेरठ को भी शामिल किया गया। समिति सभी प्रकरणों का परीक्षण करके एक माह के अन्दर विस्तृत आख्या उपाध्यक्ष, मेरठ विकास प्राधिकरण को उपलब्ध करायेगी।

## प्राधिकरण की 82 वीं बोर्ड बैठक की अनुपालन आख्या

मद संख्या –8

बोर्ड द्वारा निर्देश दिये गये कि मेरठ बाईपास पर महायोजना में प्रस्तावित 100 मीटर चौड़ी ग्रीन बेल्ट में चिन्हित किये गये 78 अवैध निर्माणों के निस्तारण के सम्बन्ध में उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 (यथा संशोधित) में विहित प्राविधानों के अनुसार सभी प्रकरणों में 2 माह के अन्दर अपेक्षित कार्यवाही पूर्ण की जायेगी। बोर्ड द्वारा यह निर्देश दिये गये हैं कि ग्रीन बेल्ट एरिया का पर्याप्त प्रचार–प्रसार भी कराया जाये।

## प्राधिकरण की 83 वीं बोर्ड बैठक की अनुपालन आख्या

### अनुपूरक मद सं0 2

बोर्ड द्वारा निर्देश दिये गये कि सभी संगत शासनादेशों का अध्ययन कर एवं व्यावहारिक बिन्दुओं को भी दृष्टिगत रखते हुए अर्जन से छूटे हुए उक्त खसरा नम्बरों के सम्बन्ध मे एक विस्तृत आख्या तैयार कर आगामी बोर्ड बैठक में प्रस्तुत की जाय।

## प्राधिकरण की 84 वीं बोर्ड बैठक की अनुपालन आख्या

मद संख्या –1

बोर्ड द्वारा निर्देश दिये गये कि सम्बन्धित कर्मचारियों/अधिकारियों के विरूद्ध दो माह के अन्दर वांछित कार्यवाही हेतु सम्बन्धित नियुक्ति/दण्डाधिकारी को आख्या प्रस्तुत कर दी जाय।

## प्राधिकरण की 85 वीं बोर्ड बैठक की अनुपालन आख्या

मद संख्या –1

बोर्ड द्वारा निर्देश दिये गये कि मास्टर प्लान में निर्धारित ग्रीन बेल्ट के खसरा नम्बरान को होर्डिंग तथा प्राधिकरण की बेबसाईट पर प्रदर्शित कराया जाये।

## प्राधिकरण की 86 वीं बोर्ड बैठक की अनुपालन आख्या

मद संख्या –2

प्राधिकरण बोर्ड द्वारा अवलोकन किया गया।

मदं संख्या –4

बोर्ड द्वारा निर्देश दिये गये कि जिलाधिकारी एवं उपाध्यक्ष, मेरठ विकास प्राधिकरण द्वारा निस्तारण की कार्यवाही शीघ्र करायी जाये।

## प्राधिकरण की 87 वीं बोर्ड बैठक में प्रस्तुत प्रस्ताव

मद संख्या –1

### वित्तीय वर्ष 2008–9 का पुनरीक्षित एवं वित्तीय वर्ष 2009–10 का प्रस्तावित आय–व्यय

वित्तीय वर्ष 2008–09 का पुनरीक्षित एवं वित्तीय वर्ष 2009–2010 का बजट प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

मद सं0–2

**मेरठ विकास क्षेत्र के भवन नियन्त्रण हेतु प्राधिकरण में भवन निर्माण एवं विकास उपविधि के सम्बन्ध में।**

भवन निर्माण एवं विकास उपविधि 2008 को अंगीकृत किया गया।

मद सं0–3

**रक्षापुरम योजना में ए.डब्ल्यू.एच.ओ. की भूमि के पीछे प्राधिकरण की 7.76 एकड़ भूमि की एप्रोच हेतु ए.डब्ल्यू.एच.ओ. से भूमि एक्सचेंज करने के सम्बन्ध में प्रस्ताव।**

बोर्ड द्वारा प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

मद सं0–4

**महायोजना के अन्तर्गत आदर्श जोनिंग रेगुलेशन्स फ्लाईंग क्लब/हैलीपेड के सम्बन्ध में किये गये प्राविधान को निरस्त करने के सम्बन्ध में।**

बोर्ड द्वारा निर्देश दिये गये कि संगत शासनादेशों का अध्ययन कर प्रस्ताव का पुनः परीक्षण करते हुए उपर्युक्त प्रस्ताव आगामी बोर्ड बैठक में प्रस्तुत किया जाय।

मद सं0–5

**मेरठ विकास प्राधिकरण की गंगानगर योजना के पॉकेट जी में आवंटित शैक्षिक भूखण्ड सं0 पी0एस0 से मिली हुई ग्रीनबेल्ट की भूमि शासनादेश में उल्लिखित व्यवस्थानुसार खेल के मैदान हेतु आवंटन के सम्बन्ध में प्रस्ताव।**

बोर्ड द्वारा प्रस्ताव अस्वीकृत किया गया।

मद सं0–6

**प्राधिकरण की गंगानगर योजना के पॉकेट एच में विद्युत सब स्टेशन से मिली हुई भूमि पर आवंटित 23 भूखण्डों के सम्बन्ध में।**

बोर्ड द्वारा निर्देश दिये गये कि यदि गंगा नगर योजना में भूखण्ड रिक्त एवं उपलब्ध हों तो उक्त 23 आवंटियों को लाटरी द्वारा भूखण्ड आवंटित किये जायें। यदि उक्त योजना में भूखण्ड उपलब्ध न हों तो संगत शासनादेश के अनुसार 23 आवंटियों को ब्याज सहित उनके द्वारा जमा धनराशि वापस की जाये।

मद सं0–7

**मेरठ विकास प्राधिकरण की शताब्दीनगर योजना के सैक्टर 8 के अविकसित भूखण्डों का योजना के विकसित सैक्टर में उपलब्ध रिक्त भूखण्डों में परिवर्तन हेतु प्रस्ताव।**

प्राधिकरण की शताब्दीनगर योजना में सैक्टर–8 के अविकसित भूखण्ड सं03/92, 3/204 तथा 3/156 को विकसित सैक्टर में रिक्त/उपलब्ध भूखण्डों में लाटरी के माध्यम से दिये जाने का प्रस्ताव बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया।

मद सं0–8

**मेरठ विकास प्राधिकरण की योजना के अन्तर्गत ऐसी सम्पत्ति जिसका आवंटन किया जा चुका है, परन्तु भूखण्ड मौके पर उपलब्ध नहीं हो पाने के कारण अन्य सम्पत्ति में परिवर्तन का प्रस्ताव।**

प्राधिकरण की लोहियानगर आवासीय योजना में भूखण्ड सं0 एम– 477, 480 तथा बी–459 जो आवेदकों को आवंटित हो गये थे, उन्हें रिक्त भूखण्डों में लाटरी के माध्यम से परिवर्तन का प्रस्ताव बोर्ड द्वारा स्वीकृत किया गया।

मद सं0—9

**मेरठ विकास प्राधिकरण की शताब्दीनगर योजना के अन्तर्गत ऐसी सम्पत्ति जिसका आवंटन दो आवेदकों के पक्ष में हो चुका है, का रिक्त भूखण्ड में परिवर्तन का प्रस्ताव।**

प्राधिकरण की शताब्दीनगर योजना में जी—151, सी—474, सी—1463 एवं सी—446 जो आवेदकों को त्रुटि से आवंटित हो गये थे, उन्हें रिक्त भूखण्डों में लाटरी के माध्यम से परिवर्तन का प्रस्ताव बोर्ड द्वारा स्वीकृत किया गया।

मद सं0—10

**मेरठ विकास प्राधिकरण की शताब्दीनगर योजना सेक्टर—4 सी के अर्न्तगत ऐसी सम्पत्ति जिनका आवंटन प्राधिकरण द्वारा किया जा चुका है तथा आवंटियो द्वारा किश्तो का भुगतान किया जा रहा है परन्तु विवाद अथवा मौके पर भूमि उपलब्ध न हो पाने के कारण अन्य सम्पत्ति मे परिवर्तन किए जाने का प्रस्ताव।**

प्राधिकरण की शताब्दीनगर योजना के सैक्टर—4 की सम्पत्ति विवादित होने अथवा मौके पर उपलब्ध न होने के कारण भूखण्ड सं0सी— 1596, 1597, 1599, 1723 व 1724 को रिक्त भूखण्ड सं0 सी—1673,1674, 1677, 1678, 1679, 1680 एवं 1709 में लाटरी के माध्यम से परिवर्तन का प्रस्ताव बोर्ड द्वारा स्वीकृत किया गया।

मद सं0—11

**कृषि भू—उपयोग में शान्तिनिकेतन ट्रस्ट द्वारा प्रस्तावित इंजी0 कॉलेज की अनुमति के सम्बन्ध में।**

बोर्ड द्वारा निर्देश दिये गये कि उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 (यथा संशोधित) में विहित प्राविधानों के अनुसार अवैध निर्माण के विरूद्ध कार्यवाही की जाये तथा पुनः आगामी बोर्ड के समक्ष कार्यवाही प्रस्तुत की जाये। बोर्ड द्वारा यह भी निर्देश दिये गये कि विशेष अनुमति के प्रकरणों को मास्टर प्लान/शजरे पर प्रदर्शित करके आगामी बोर्ड बैठक में प्रस्तुत किया जाये।

मद सं0—12

**वाहय विकास शुल्क की वसूली के सम्बन्ध में।**

वाहय विकास शुल्क की वसूली के सम्बन्ध में प्रस्ताव बिन्दु सं0 1 से 5 अनुमोदित किया गया।

मद सं0—13

**उद्योग भू—उपयोग में श्री आशुतोश भल्ला आदि प्रस्तावित होटल की अनुमति के सम्बन्ध में।**

प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

मद सं0—14

**प्राधिकरण में कार्यरत वेतनमान प्राप्त कर्मचारियों को भवन किराया भत्ता / नगर प्रतिकर भत्ता दिये जाने का प्रस्ताव।**

बोर्ड द्वारा निर्देश दिये गये कि अपर निदेशक (कोषागार), वित्त नियन्त्रक, मेरठ विकास प्राधिकरण एवं सहयुक्त नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजक, मेरठ सम्भाग, मेरठ की एक समिति बनाकर प्रकरण का परीक्षण करा लिया जाय।

उक्त समिति संगत शासनादेशों का अध्ययन एवं परीक्षण कर आख्या प्रस्तुत करेगी जिसके साथ यह प्रस्ताव आगामी बोर्ड बैठक में प्रस्तुत किया जाय।

मद सं0—15

**सैनिक विहार योजना में निरस्त शुदा भवन की बहाली के उपरान्त भवन सं0 बी—396 के स्थान पर श्री नरेश कुमार को कोई अन्य रिक्त भवन में परिवर्तन के सम्बन्ध में।**

प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

मद सं0—16

**मेरठ विकास प्राधिकरण की शताब्दीनगर योजना के सैक्टर 9 के अविकसित भूखण्ड का योजना के विकसित सैक्टर में उपलब्ध रिक्त भूखण्ड में परिवर्तन हेतु प्रस्ताव।**

प्राधिकरण की शताब्दीनगर योजना के भूखण्ड सं0 258 को रिक्त भूखण्डों में लाटरी के माध्यम से परिवर्तन का प्रस्ताव बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया।

मद सं0—17

**मेरठ विकास प्राधिकरण की शताब्दीनगर योजना के सैक्टर 5 के अविकसित उच्च आय्र वर्ग श्रेणी के भूखण्ड सं0 डी—201 का योजना के विकसित सैक्टर 4सी में उपलब्ध रिक्त उच्च आय वर्ग श्रेणी के भूखण्ड सं0 डी—67 में परिवर्तन हेतु प्रस्ताव।**

प्राधिकरण की शताब्दीनगर योजना के भूखण्ड सं0— डी 201 को विकसित भूखण्ड सं0 डी—67 में बिना परिवर्तन शुल्क लिये परिवर्तन का प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

मद सं0—18

**मेजर ध्यान चन्द नगर (स्कीम नं0 10) में अर्जित कस्बा मेरठ खास व रिठानी की भूमि के किसानों को शताब्दीनगर, वेद व्यासपुरी व लोहियानगर आवासीय योजनाओं की भांति समझौते के आधार पर अतिरिक्त प्रतिकर भुगतान के सम्बन्ध में।**

प्राधिकरण की मेजर ध्यान चन्द नगर (स्कीम न0—10) में अर्जित कस्बा मेरठ खास व ग्राम रिठानी की भूमि के किसानों को शताब्दीनगर, लोहियानगर एवं वेदव्यासपुरी योजना के कृषकों की भाँति शासनादेशानुसार समिति गठित कर अतिरिक्त प्रतिकर दिये जाने की कार्यवाही किये जाने का प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

मद सं0—19

**मेरठ रूड़की बाईपास मार्ग के समानान्तर प्रस्तावित 100 मीटर ग्रीनवर्ज भू—उपयोग के अन्तर्गत ग्राम खड़ौली के खसरा सं0 474 की 4540 वर्ग मीटर भूमि का भू—उपयोग ग्रीनवर्ज से व्यवसायिक में परिवर्तित किये जाने के सम्बन्ध में।**

मेरठ रूड़की बाईपास मार्ग के समानान्तर प्रस्तावित 100 मीटर ग्रीनवर्ज भू—उपयोग के अन्तर्गत श्री प्रवीण कुमार एवं श्री विनय कुमार ग्राम खड़ौली के खसरा न0— 474 क्षेत्रफल 4540 वर्ग मी0 भूमि का ग्रीनवर्ज से व्यवसायिक किये जाने के सम्बन्ध में बोर्ड द्वारा निर्देश दिये गये कि समस्त संगत शासनादेशों का अध्ययन कर एवं आयुक्त, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से आख्या/संगत शासनादेश प्राप्त कर प्रकरण शासन को संदर्भित किया जाय।

मद सं0—20

**श्री उमेश गर्ग को मेरठ विकास प्राधिकरण की पल्लवपुरम योजना के पाकेट टी में आवंटित व्यवसायिक भूखण्ड संख्या सी—6/4 के स्थान पर उसी दर से अन्यत्र भूखण्ड आवंटित किये जाने के सम्बन्ध में।**

श्री उमेश गर्ग को मेरठ विकास प्राधिकरण की पल्लवपुरम योजना के पाकेट टी में आवंटित व्यवसायिक भूखण्ड संख्या सी—6/4 को तत्कालीन उपाध्यक्ष, मेरठ विकास प्राधिकरण के आदेश दिनांक 26—6—03 द्वारा निरस्त कर दिया गया। उसी दर पर अन्यत्र भूखण्ड आवंटित किये जाने के सम्बन्ध में बोर्ड द्वारा निर्देश दिया गया कि इस प्रकरण को संदर्भित करके शासन से मार्ग दर्शन प्राप्त कर लिया जाय।

मद सं0—21

**गंगानगर योजना में 10 एम0एल0डी0 क्षमता का सीवरेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट का निर्माण कार्य।**

गंगानगर योजना में 10 एम0एल0डी0 क्षमता का सीवरेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट के निर्माण हेतु जल निगम, मेरठ से प्राप्त डी0पी0आर0 बोर्ड द्वारा अनुमोदित की गयी। बोर्ड द्वारा यह भी निर्देश दिये गये कि प्रत्येक सीवरेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट का कान्ट्रैक्ट 10 वर्ष के संचालन एवं रख—रखाव के साथ दिया जाय।

अध्यक्ष महोदय एवं अन्य मा0 सदस्यों को धन्यवाद ज्ञापन के उपरान्त बैठक का समापन किया गया।

26/2/09

(अनुराग पटेल)
सचिव,
मेरठ विकास प्राधिकरण,
मेरठ।

(राम सेवक सिंह)
उपाध्यक्ष,
मेरठ विकास प्राधिकरण,
मेरठ।

(एल0 वेंकटेश्वर लू)
अध्यक्ष,
मेरठ विकास प्राधिकरण,
मेरठ।